

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>24/14 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>श्री गौरी दी वनात अजमेर</u> शहर</p>
<p>23/21</p>	<p>पञ्जावली केस 327 वकील कादी व कादी केस में ही कोर्ट उपस्थित नहीं आया। बार-बार क्लक टिक टिक आवाज लगायी गई लेकिन कोर्ट भी उपस्थित नहीं आया। अतः दावा कादी गण अन्वयम हाजरी व अन्वयम पैरती में खारिज किया जाता है। पञ्जावली फीजल सुमाट होकर नंबर में कम है। निरर्थक मैट्रे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> जज अजमेर अधिकारी एच जज अजमेर मजिस्ट्रेट न्याय अजमेर (दासा) </p>